

27

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान मिस वाद संख्या- 10/1999

M/S Khatau Liladhar Thacker, Gua

V/s

Manoharpur Ore Mines, Chiria, SAIL and Others

आदेश

यह वाद दिनांक- 09.07.1999 को M/S Khatau Liladhar Thacker, a partnership firm office at Gua, P.O & P.S- Gua, District- West Singhbhum द्वारा Petition U/S. 14(2) Sec.- 15 (2) of arbitration and conciliation Act, 1996 के एवज में प्रतिवादी संख्या 1. Manoharpur Ore Mines, Chiria, Steel Authority of India Ltd., P.O- Chiria, District- West Singhbhum, 2. P.P. Chanana, Executive Director, Steel Authority of India Ltd., Industry House 5th Floor, 10 Camac Street, Calcutta- 700017 के विरुद्ध यह वाद दायर किया गया है। इस वाद में नोटिस मिलने के बाद दिनांक- 29.11.2021 को वादी के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से अंतिम उपस्थिति दी गई है। लेकिन सुनवाई हेतु कई तिथि गुजर जाने के बाद भी वादी प्रतिवादी की ओर से कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


04.04.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


04.04.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।